न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 260/2011

पांची बाई पुत्री गोपीलाल पत्नि चतुर्भुज जाति चमार निवासी पाकलखेडा हाल मुकाम नीलकंण्ठ आवास बेडिया अंता जिला बारां

.....वादीनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. उदा पुत्र गोपीलाल जाति चमार निवासी पाकलखेडा तह0 मांगरोल
2. बद्री बाई पुत्री गोपीलाल पत्नि केसरीलाल जाति चमार निवासी पाकलखेडा हाल मुकाम चैनपुरिया चन्द्राहेडी तह0 मांगरोल
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 183, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांक: 20.09.2011

निर्णय दिनांक : 09.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी व प्रतिवादीगण को पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

गोपीलाल (मृतक)

सूरजा (मृतक) विधवा | उदा पुत्र | पांची बाई पुत्री | बद्री बाई पुत्री

वादनी व प्रतिवादीगण के पिता के खाते की आराजी ग्राम पाकलखेडा में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 93 खसरा नं0 213 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं0 214 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं0 217 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं0 218 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं0 219 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं0 339 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं0 445 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 574 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 450 रकबा 7 बीघा खसरा नं0 575 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 576 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 594

[illegible] बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 595 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा रकबा है जिसमें वादनी के पिता का हिस्सा 1/6 नियत है। पूर्व साबिक खाता संख्या 93 से वर्तमान खाता संख्या 7 खसरा नं0 648 रकबा 0.50 है0 खसरा नं0 649 रकबा 0.35 है0 खसरा नं0 650 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 713 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 720 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 रकबा 1.38 है0 कायम किये गये वादनी के पिता गोपीलाल के प्रतिवादी नं0 1 पुत्र व प्रतिवादी नं0 2 पुत्री व वादनी थें जिनको पारिवारिक सजरे में स्पष्ट किया है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ने चालाकी बरतते हुए सेटलमेंट अधिकरियो से सांट–गाठ करके वादनी के पिता गोपीलाल की आराजी से फौती इन्तकाल दर्ज करवाते समय उसके समस्त उत्तराधिकारिया को रेकार्ड पर ना लेकर मात्र प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया गया वादीनी के पिता गोपीलाल का स्वर्गवास लगभग 30–40 वर्ष पूर्व हो गया है उसके बाद राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाते समय वर्तमान खसरा नं0 कुल किता 5 रकबा 1.38 है0 पर चारो का नाम 1/4–1/4 हिस्से के अनुसार दर्ज होना चाहिए था जो नही किया गया है। इस लिए वर्तमान में गोपीलाल के वारिसान में मात्र उधालाल प्रतिवादी नं0 1 वादनी पांची बाई व प्रतिवादी नं0 2 बद्री बाई ही बचे है। इसलिए तीनो का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल करते हुए समस्त आराजी 1.38 है0 पर 1/3 हिस्से के अनुसार अपने आप को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने व खाता पृथक से दर्ज करवाने की अधिकारणी है। प्रतिवादीगण कम नं0 1 ने दौराने सेटलमेंट भू–राजस्व कार्मिको से मिलीभगत करते हुए समस्त आराजी को अपने खाते बंधा ली है और वादनी का नाम खाते में दर्ज होने से रह गया है। अतः वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि विवादित आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं0 648 रकबा 0.50 है0 खसरा नं0 649 रकबा 0.35 है0 खसरा नं0 650 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 713 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 720 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 रकबा 1.38 है0 वाके माल पाकलखेडा का विधिवत विभाजन किया जाकर सजरे के अनुसार वादनी को 1/3–1/3 हिस्सा पृथक–पृथक किया जावे। व इसी अनुसार 1/3 हिस्से पर वादनी का नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावें। तथा वादनी का 1/3 हिस्सा प्रथक कर खाते दर्ज करते हुए उक्त 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण के कब्जे से मुक्त कराकर वादनी को कब्जा संभलाया जावे। व उसके उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें इस आशय की भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 से उसके हिस्से की आराजी का अब तक का मुआवजा भी दिलाया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। मुताबिक जवाब दावा प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपने जवाब में वाद पत्र वादी को अस्वीकार किया है। और अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रतिवादी नं0 1 उदा पुत्र स्व0

[illegible] के नाम मोहना पुत्र घांसी की जमीन आई है। गोपीलाल पुत्र स्व0 नारायण की जमीन नही आई है और कथन किया है कि वादनी का हिस्सा वर्तमान में अन्य सहखातेदार व डाल्या पुत्र नारायण के पास होना जाहिर किया है। तत्पश्चात साक्ष्य सबूत वादीगण एवं साक्ष्य सबूत प्रतिवादीगण लिये गये जो शामिल फाईल किये गये। दोनो पक्षो को जिरंह का पर्याप्त अवसर दिया गया। बयान व रेकार्ड से जाहिर हुआ कि मृतक पितृ पुरूष गोपीलाल पुत्र नारायण जो आज से 30–40 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था उसके वारिसान क्रमशः सूरजा (विधवा) जो फौत हो चुकी है। उदालाल पुत्र जो प्रतिपक्षी नं0 1 है। बद्रीबाई पुत्री प्रतिपक्षी नं0 2 है। एवं पांची बाई पुत्री जो वादीनी नं0 1 है। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात वादीनी की पुश्तैनी भूमि है ये पूर्व में वादीनी के पिता की भूमि थी। वादीनी के सगे भाई उदा पुत्र गोपीलाल जो प्रतिपक्षी नं0 1 है की पृथक से स्वअर्जित भूमि नही है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या दस्तावेज इस आशय का पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि यह भूमि वादीनी पांची बाई पुत्री गोपीलाल की पुश्तैनी भूमि नही होकर वादीनी के सगे भाई प्रतिवादी क्रम 1 उदा पुत्र गोपीलाल की अकेले की स्वअर्जित सम्पति थी। ऐसी सूरत में वादपत्र अनुसार उक्त विवादित भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा मात्र उदा पुत्र गोपीलाल के नाम का इन्द्राज किया गया है जो पारिवारिक पुश्तैनी सजरे के अनुसरण में विधिसंगत नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज, उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं सुनी गयी बहस पर मनन करने के पश्चात आदेश दिया जाता है कि वाद वादीनी स्वीकार है तदनुसार वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि पुश्तैनी होने के फलस्वरूप वादीनी पांची बाई पुत्री गोपीलाल का हिस्सा 1/3 कायम किया जाता है एवं ग्राम पाकलखेडा की पुरानी प्रविष्टी उदा पुत्र गोपीलाल जाति मेघवाल को हटाकर पुनः नवीन प्रविष्टी क्रमशः पांची बाई पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/3, उदा पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/3 व बद्रीबाई पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा0देह खातेदार के नाम आराजी खसरा नं0 648 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 649 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 650 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 713 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 720 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 रकबा 1.38 है0 का इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

सूरंजा (मृतक) विधवा

उदालाल

पांची बाई